भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 265

उत्तर दिनांक 19.03.2025 को दिया गया

जैतपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र

*265. श्री अनिल यशवंत देसाई

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) देश में विद्युत/ऊर्जा आपूर्ति के मुख्य स्रोत क्या हैं;

(ख) महाराष्ट्र के रत्नागिरी में जैतपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के उद्देश्य, आवश्यकता और महत्व क्या हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा पर्यावरण, स्थानीय आबादी की सहमति, भूमि अधिग्रहण आदि जैसी सभी आवश्यक मंजूरी प्राप्त कर ली गई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या लोगों की सुरक्षा और पर्यावरण आदि के बारे में किसी भी ओर से कोई बड़ी आपत्तियां उठाई गई हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) इस विद्युत संयंत्र के आरंभ हो जाने के बाद विद्युत की जरूरतों को किस प्रकार से पूरा किया जा सकेगा; और

(च) उक्त परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) से (च) सदन के पटल पर विवरण प्रस्तुत है।

*****

भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

"जैतपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र" के संबंध में श्री अनिल यशवंत देसाई द्वारा पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 265 के भाग (क) से (च), जिसका उत्तर दिनांक 19.03.2025 को दिया जाना है, के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) देश में बिजली/ऊर्जा आपूर्ति के मुख्य स्रोत कोयला, गैस, हाइड्रो, नाभिकीय और सौर, पवन, बायोमास जैसी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं।

(ख) जैतापुर नाभिकीय विद्युत परियोजना में फ्रांस के सहयोग से जैतापुर, महाराष्ट्र में 1730 मेगावाट की छह इकाइयां स्थापित करने का विचार है। इस परियोजना के पूरा होने पर, 10,380 मेगावाट स्वच्छ मूल भार बिजली (24X7 उपलब्ध) का उत्पादन होगा जिससे यह देश का सबसे बड़ा बिजलीघर बनेगा। यह परियोजना नाभिकीय ऊर्जा मिशन के तहत 100 गीगावाट नाभिकीय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य का एक-दसवाँ (1/10) हिस्सा होगी, यह भारत सरकार द्वारा घोषित विकसित भारत 2047 और 2070 तक शुद्ध शून्य के उद्देश्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

(ग) परियोजना और आवासीय टाउनशिप के लिए भूमि अधिग्रहण कर लिया गया है। अधिग्रहीत भूमि के लिए मुआवजा और महाराष्ट्र सरकार द्वारा घोषित अनुग्रह राशि वितरित की जा चुकी है। एनपीसीआईएल और महाराष्ट्र सरकार के बीच पुनर्वासन और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) पैकेज के लिए समझौता हुआ और इसे राज्य सरकार के परामर्श से लागू किया जा रहा है। जन सुनवाई सहित उचित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त की गई थी, लेकिन इसकी वैधता नवंबर 2022 में समाप्त हो गई। एमओईएफ एंड सीसी की सलाह के अनुसार, पर्यावरणीय मंजूरी के लिए एक नया आवेदन किया गया जिसके संदर्भ की शर्तें दिसंबर 2024 में स्वीकृत हुईं। स्वीकृत टीओआर के अनुरूप पर्यावरणीय प्रभाव अध्ययन शुरू कर दिए गए हैं।

(घ) कुछ लोगों के बीच स्थल और संयंत्र की सुरक्षा, पुनर्वासन से जुड़ी चिंताओं और मत्सय पालन और बागवानी जैसे आजीविका के स्रोतों के नुकसान को लेकर आशंकाएं व्यक्त की गई हैं। एक विश्वसनीय तरीके से विभिन्न दृष्टिकोणों को अपनाते हुए जन-जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से आशंकाओं को दूर किया गया है।

(ङ) परियोजना के पूरा होने पर, पश्चिमी ग्रिड में 10,380 मेगावाट स्वच्छ, मूल भार बिजली उत्पादन क्षमता जुड़ जाएगी और क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों की मांग को पूरा करने में सहायता मिलेगी। विद्युत मंत्रालय के मौजूदा मानदंडों के अनुसार, उत्पादित बिजली का 50% महाराष्ट्र राज्य को आवंटित किया जाएगा।

(च) वर्तमान में परियोजना के लिए व्यवहार्य प्रस्ताव पर पहुंचने के लिए फ्रांसीसी पक्ष के साथ चर्चा जारी है। इन चर्चाओं के निष्कर्ष पर परियोजना की अनुमानित लागत निर्धारित की जाएगी।

*****